



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092025-266164
CG-DL-E-15092025-266164

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4052]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 15, 2025/भाद्र 24, 1947

No. 4052]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 15, 2025/BHADRA 24, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2025

का.आ. 4167(अ).—केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (इसमें इसके पश्चात "आयकर अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा "तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग" (पैन: AAAGT0048J) " (इसमें इसके पश्चात "निर्धारिती" के रूप में संदर्भित), जोकि "विद्युत अधिनियम, 2003" (2003 की संख्या 36) के अंतर्गत गठित एक आयोग है, को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2024-2025 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि करदाता आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (क) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों साथ के साथ “विद्युत अधिनियम, 2003” (2003 की संख्या 36) के अंतर्गत गठित आयोग बना रहे।

[अधिसूचना सं. 147/2025/फा. सं. 300195/9/2025-आईटीए-1]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।